



मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय,
CMS Office,
मंडल रेल अस्पताल, राजकोट।
Divisional Railway Hospital, Rajkot.



No. MD/173/1/DRM/RJT/2023-24/01 Dt.08-06-2023.

कार्यालय का पता: मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मंडल अस्पताल पश्चिम रेलवे, कोठी परिसर जामनगर रोड,
राजकोट-360001।

निविदा संख्या. MD/173/1/DRM/RJT/2023-24

कार्य का नाम : राजकोट मंडल :

रेलवे के रोगियों और राजकोट डिवीजन और पश्चिम रेलवे के अन्य डिवीजनों के लाभार्थियों के इलाज के लिए न्यूनतम 50 बिस्तरों से लैस रेलवे के साथ निजी अस्पतालों का नया पैल। यदि कोई हो, तो यह गठजोड़ निम्नलिखित स्थानों पर सेवारत और सेवानिवृत्त रेलवे रोगियों दोनों के नियमित रेफरल के लिए होगा-

- द्वारका में मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल
- जामनगर में मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल
- सुरेन्द्रनगर में मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल

सभी अस्पतालों द्वारा इलाज के लिए शुल्क एनएबीएच/गैर-एनएबीएच के लिए सीजीएसएस दरों (अहमदाबाद 2014 दर सूची में दर्शाई गई प्रक्रियाओं के लिए या कम दरों/कम प्रतिस्पर्धी) के बराबर या उससे कम होगा। इच्छुक निजी अस्पताल प्रक्रियाओं/जांच सूची के लिए अपना दर प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

निजी अस्पतालों को रेलवे के मरीजों के लिए आवश्यक जांच/प्रक्रिया करनी होगी। ऐसी जांच/प्रक्रियाओं की सूची एक सप्ताह के बाद रेलवे अस्पताल, राजकोट से प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक निजी अस्पताल निर्धारित प्रोफार्मा में अपनी दरें प्रस्तुत कर सकते हैं (मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मंडल अस्पताल, पश्चिम रेलवे, कोठी कंपाउंड जामनगर रोड, राजकोट -360001) से एकत्र किए जा सकते हैं, और 29-06-2023 से पहले सीलबंद लिफाफे में वापस जमा कर सकते हैं।

अनुबंध की अवधि: तीन साल।

उपरोक्त कार्य में रुचि रखने वाले निजी अस्पताल (अस्पताल) रेलवे के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा अपने अस्पताल के निरीक्षण के लिए तत्काल अपना इच्छा पत्र प्रस्तुत करेंगे।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2016/एच/1/11/69 अस्पताल मान्यता दिनांक 23-12-2016 के अनुसार चयनित निजी अस्पताल और रेलवे के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा।

चयनित अस्पताल/संस्थान को रुपये की राशि जमा करनी होगी। रेलवे के साथ 30 महीने के लिए 2 लाख प्रदर्शन गारंटी (पीजी)

डॉ. आर. वी. शर्मा
अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
राजकोट
Chief Medical Superintendent
पश्चिम रेलवे - राजकोट
W Rly Rajkot